महत्वपूर्ण

संख्या– 1185 /87–अति.ऊ.स्रो.वि./2023

प्रेषक,

महेश कुमार गुप्ता,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग

लखनऊ : दिनांक 24 अगस्त, 2023

विषयः– उत्तर प्रदेश में बायोडीजल के उत्पादन एवं विक्रय के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण के पत्र संख्या–2316/यूपीनेडा–डीजल–गा0ला0/2023–24 दिनांक 25–07–2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या–पी–13039(18)/1/2018–सीसी(पी–26825) दिनांक 30–04–2019 द्वारा परिवहन प्रयोजन हेतु हाई स्पीड डीजल के साथ मिश्रण के लिए बायो–डीजल की बिक्री हेतु दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं। सम्यक विचारोपरांत भारत सरकार की उक्त अधिसूचना दिनांक 30–04–2019 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों तथा उ0प्र0 जैव ऊर्जा नीति–2022 के प्राविधानों के आलोक में प्रदेश में बायो–डीजल के उत्पादन एवं बिक्री हेतु संलग्न दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2– उपरोक्त निर्णय एवं दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

संलग्नकःयथोक्त।

भवदीय,

/

(महेश कुमार गुप्ता)
अपर मुख्य सचिव।

......2

संख्या- (1)/87-अति.ऊ.स्रो.वि./2023, तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग/खाद्य एवं रसद विभाग/पर्यावरण, वन एवं जलवायु विभाग/गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. आयुक्त, खाद्य एवं रसद, उ0प्र0, लखनऊ।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. स्टेट कोआर्डिनेटर, इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित वे समस्त तेल कम्पनियों को अपने स्तर से सूचित करने का कष्ट करें।
8. समस्त जनपदीय परियोजना अधिकारी, उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (द्वारा निदेशक,यूपीनेडा)
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सर्वेश कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

शासनादेश संख्या–1185/87–अति.ऊ.स्रो.वि./2023 दि0 24–08–2023 का संलग्नक

उत्तर प्रदेश में बायो–डीजल के उत्पादन एवं बिक्री हेतु दिशा–निर्देश।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गजट अधिसूचना संख्या पी–13039(18)/1/2018–सीसी(पी–26825), दिनांक–30.04.2019 के द्वारा परिवहन प्रयोजन हेतु हाई स्पीड डीजल के साथ मिश्रण के लिए जैव डीजल की बिक्री हेतु दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं। तत्क्रम में उत्तर प्रदेश में बायो–डीजल के उत्पादन तथा बिक्री हेतु निम्न दिशा–निर्देश निर्गत किये जाते हैं :–

भारत सरकार की गजट अधिसूचना का अंगीकरण	1–	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गजट अधिसूचना संख्या पी–13039(18)/1/2018–सीसी(पी–26825), दिनांक–30.04.2019 के द्वारा परिवहन प्रयोजन हेतु हाई स्पीड डीजल के साथ मिश्रण के लिए जैव डीजल की बिक्री हेतु निर्गत दिशा–निर्देश में वर्णित व्यवस्थायें यथावत् अनुवर्ती प्रस्तरों में वर्णित व्यवस्था को समाहित करते हुए लागू होगा।
नियंत्रक प्राधिकारी	2–	उत्तर प्रदेश में बायो–डीजल (बी–100) के उत्पादन एवं बिक्री को विनियमित करने के लिए उत्तर प्रदेश नवीन एवं नकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यू0पी0 नेडा) उत्तरदायी होगा।
उत्पादन इकाईयों का पंजीकरण	3–	उत्तर प्रदेश में बायो–डीजल (बी–100) के उत्पादन में निहित सभी इकाईयों का पंजीकरण नियंत्रक प्राधिकारी के स्तर पर किया जायेगा। इसके लिए सम्बन्धित इकाई को संलग्नक–1 में वर्णित प्रपत्र के अनुसार आवेदन करना होगा। प्राप्त आवेदनों के आधार पर उत्पादन में निहित इकाईयों का पंजीकरण किया जायेगा और एक पंजीयन प्रमाणपत्र नियंत्रक प्राधिकारी (निदेशक, यू0पी0 नेडा) द्वारा निर्गत किया जायेगा जिस पर पंजीयन कमांक स्पष्ट रूप से अंकित होगा।
	4–	आवेदन के समय आवेदक को रू0 5000/– का पंजीयन शुल्क भी जमा करना होगा।
	5–	उत्तर प्रदेश में बायो–डीजल (बी–100) के उत्पादन में निहित सभी इकाईयों को उत्पादन आरम्भ करने से पूर्व संलग्नक–1 में वर्णित प्रपत्र के अनुसार अपेक्षित पंजीकरण/अनुमोदन/अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा और उसकी प्रति पंजीकरण हेतु आवेदन करते समय आवेदन प्रपत्र के साथ नियंत्रक प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
	6–	इस पंजीयन को बायो–डीजल (बी–100) की उत्पादन इकाई परिसर में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जायेगा।
खुदरा बिक्री	7–	उत्तर प्रदेश में बायो–डीजल (बी–100) के खुदरा बिक्री के लिए आवेदक को संलग्नक–2 में वर्णित प्रपत्र के अनुसार आवेदन करना होगा। यह आवेदन पत्र आवेदक द्वारा उसके जनपद के वरिष्ठ परियोजना अधिकारी/परियोजना अधिकारी, यू0पी0 नेडा के कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा। आवेदन पत्र के साथ संलग्नक–2 में वर्णित अपेक्षित पंजीकरण/अनुमोदन/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा और उसकी प्रति आवेदन करते समय आवेदन प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।
	8–	आवेदन के समय आवेदक को रू0 5000/– का शुल्क भी जमा करना होगा।

	9–	प्राप्त आवेदन पर परीक्षणोपरान्त खुदरा बिक्री की अनुमति सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा निर्गत की जायेगी।
	10–	इस अनुमति को बायो–डीजल (बी–100) के खुदरा बिक्री वाले स्थान पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जायेगा।
	11–	इस अनुमति के अनुसरण में बिक्री किये जाने वाला बायो–डीजल (बी–100) आयातित न होकर स्वदेशी रूप से उत्पादित होना चाहिए।
	12–	खुदरा बिक्री हेतु न्यूनतम भण्डारण क्षमता 20 किलोलीटर होगी।
	13–	श्रेणी–"बी" पेट्रोलियम उत्पादों के लिए लागू सभी मात्रा और सुरक्षा दूरी सम्बन्धी मानदण्ड बायो डीजल की बिकी करने वाले खुदरा बिकी केन्द्रों पर लागू होंगे।
पंजीयन का समयकाल और नवीनीकरण	14–	बायो–डीजल उत्पादन हेतु पंजीयन एवं खुदरा बिकी हेतु अनुमति दो वर्ष के लिए मान्य होगी।
	15–	पंजीयन/अनुमति का आगामी दो वर्षों के लिए नवीनीकरण रू0 5000/– आवेदन शुल्क जमा कर कराया जा सकता है।
	16–	नवीनीकरण के लिए संलग्नक–3 पर वर्णित प्रपत्र पर आवेदन करना होगा।
सूचनाओं का प्रदर्शन	17–	बायो–डीजल खुदरा बिक्री केन्द्रों पर संलग्नक–4 के अनुसार सूचनाओं का प्रदर्शन खुदरा विकेता द्वारा अनिवार्य रूप से किया जायेगा।
अभिलेखों का रख–रखाव	18–	बायो–डीजल खुदरा बिक्री केन्द्रों पर संलग्नक–5 के अनुसार अभिलेखो का रख–रखाव खुदरा विकेता द्वारा अनिवार्य रूप से किया जायेगा।
	19–	बायो डीजल उत्पादकों द्वारा अपने उत्पादन केन्द्र पर बायो–डीजल (बी–100) के उत्पादन, खपत और बकाया का रिकार्ड अनिवार्य रूप से रखा जायेगा।
	20–	बायो डीजल उत्पादक अपने उत्पादन केन्द्र में एक प्रयोगशाला स्थापित करेगा और उसके माध्यम से उसके द्वारा उत्पादित बायो डीजल के बी0आई0एस0 मानक की गुणवत्ता की जांच सुनिश्चित करेगा और बायो डीजल बी0आई0एस0 मानक के अनुरूप होने की दशा में ही इसकी बिकी सुनिश्चित करेगा।
	21–	बायो डीजल उत्पादकों द्वारा बायो डीजल की बिकी खुले ड्रम में नहीं की जायेगी वरन् टैंकर के माध्यम से की जायेगी। उत्पादन केन्द्र से जब भी कोई टैंकर किसी खुदरा विकेता के यहां रवाना होगा तो उसके साथ उसके गन्तव्य का विवरण तीन प्रतियों में बनाया जायेगा जिसमें भेजी जा रही मात्रा, डिस्पैच की तारीख व समय, गन्तव्य पर पहुॅचने का सम्भावित तारीख व समय, वाहन संख्या, कयकर्ता का नाम तथा उसका सम्पर्क दूरभाष अंकित करना अनिवार्य होगा। इसकी दो प्रति वाहन चालक को दी जायेगी जिसकी एक प्रति वाहन चालक अपने गन्तव्य स्थान पर पहुॅचकर केता को हस्तगत करेगा और दूसरी प्रति पर प्राप्ति रसीद लेकर वापस उत्पादक को उपलब्ध करायेगा और इसकी तीसरी प्रति उत्पादक के केन्द्र के अभिलेखों में सुरक्षित रखी जायेगी।
जांच हेतु प्राधिकृत अधिकारी	22–	सम्बन्धित क्षेत्र के उप जिलाधिकारी और जिला पूर्ति अधिकारी तथा वरिष्ठ परियोजना अधिकारी/परियोजना अधिकारी, नेडा के पास उत्पादन केन्द्रों तथा खुदरा बिकी केन्द्रों की नियमित जांच करने का अधिकार होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपभोक्ता को बायो डीजल सही गुणवत्ता और मात्रा में उपलब्ध

			हो रहा है और सीधे ईंधन के तौर पर इसे परिवहन उद्देश्यों से नहीं बेचा जा रहा है।
	23–		उपरोक्त प्राधिकारी बिक्री किये जा रहे बायो डीजल का नमूना लेने के लिए अधिकृत होंगे। यदि कोई नमूना फेल होता है तो जिस प्रकार पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल का नमूना फेल होने पर विपणन अनुशासन दिशा–निर्देशों (Marketing Discipline Guidelines) (एम0डी0जी0) के अनुरूप सम्बन्धित जिलाधिकारी या इन दिशा–निर्देशों में वर्णित सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्यवाही की जायेगी।
	24–		यह सुनिश्चित करने के लिए कि बायो डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्र केवल बी0आई0एस0 मानकों के अनुरूप बायो डीजल की बिक्री कर रहे हैं और न कि बायो डीजल और हाई स्पीड डीजल के मिश्रण अथवा केवल डीजल की बिक्री कर रहे हैं, राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ–साथ सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कम्पनियों के मिलावटरोधी प्रकोष्ठ को अनाधिकृत और अवैध बायो डीजल विनिर्माण संयंत्रों, भण्डारण तथा वितरण इकाईयों और खुदरा बिक्री केन्द्रों का निरीक्षण करने, तलाशी लेने और अपने कब्जे में लेने का अधिकार होगा।
	25–		तेल उद्योग की मोबाइल प्रयोगशालाओं के पास भी बायो डीजल की बिक्री करने वाले खुदरा बिक्री केन्द्रों, विनिर्माण संयंत्रों, बायो डीजल के भण्डारण तथा वितरण नेटवर्क के निरीक्षण करने का क्षेत्राधिकार होगा।
निरीक्षण रिपोर्ट में पायी जाने वाली अनियमिततायें	26–		विभिन्न अनियमितताओं को तीन श्रेणी में विभक्त किया जायेगा
		क–	गम्भीर अनियमिततायें जैसे कि • बायो डीजल में अपमिश्रण • माप तौल के उपकरणों में छेड़–छाड़ • बायो डीजल का अनाधिकृत प्रकार से स्टोरेज करना • बिक्री केन्द्र पर लारी से अनाधिकृत उत्पादों का उतारा जाना
		ख–	प्रमुख अनियमिततायें जैसे कि • निरीक्षण करने अथवा नमूना लेने के लिए मना करना • खुदरा विक्रेता द्वारा पिछली तीन आपूर्तियों का नमूना सुरक्षित न रखा जाना • अपेक्षित अभिलेखों का न बनाया जाना और उनका ठीक तरीके से रख–रखाव न करना • भण्डारण में स्टाक में भिन्नता पाया जाना • प्रदर्शित मूल्य से अधिक मूल्य पर बायो डीजल की बिक्री करना • बिक्री के समय ठीक तरीके से माप–तौल न करना • भण्डारण के लिए आवश्यक सुरक्षात्मक उपकरण न लगाना • पर्यावरण सम्बन्धी शर्तों का उल्लंघन करना • बिन्दु संख्या–20 तथा 21 का उल्लंघन
		ग–	लघु अनियमिततायें जैसे कि

		• बिकी केन्द्र पर बायो डीजल का खुदरा मूल्य प्रदर्शित न करना • बिकी केन्द्र पर शिकायत पुस्तिका न रखा जाना अथवा केता को शिकायत पुस्तिका उपलब्ध न कराया जाना • बिकी केन्द्र पर समुचित साफ–सफाई सुनिश्चित न करना • बिकी केन्द्र पर सेल्समैन द्वारा निर्धारित यूनीफार्म न पहनना • बिन्दु संख्या–17, 18 तथा 19 का उल्लंघन
निरीक्षण रिपोर्ट में पायी गयी अनियमितताओं पर कार्यवाही	27–	गम्भीर अनियमितताओं को पकड़े जाने पर सम्बन्धित उत्पादक/खुदरा विक्रेता का पंजीयन/अनुमति निरस्त कर दिया जायेगा।
	28–	प्रमुख अनियमितताओं को पकड़े जाने पर पहली बार में उत्पादक/खुदरा विक्रेता का पंजीयन/अनुमति 15 दिन के लिए निलम्बित किया जायेगा। दूसरी बार पकड़े जाने पर उत्पादक/खुदरा विक्रेता का पंजीयन/अनुमति 30 दिन के लिए निलम्बित किया जायेगा। तीसरी बार पकड़े जाने पर उत्पादक/खुदरा विक्रेता का पंजीयन/अनुमति निरस्त कर दिया जायेगा।
	29–	लघु अनियमितताओं के पहली बार पकड़े जाने पर चेतावनी पत्र निर्गत किया जायेगा। दूसरी बार पकड़े जाने पर 5,000/– रू0 प्रति अनियमितता की दर से तथा तीसरी बार पकड़े जाने पर 10,000/– रू0 प्रति अनियमितता की दर से शास्ति रोपित की जायेगी।
	30–	किसी भी प्रकार का दण्ड या शास्ति रोपित करने से पूर्व सुनवाई का अवसर दिया जायेगा किन्तु इसमें बहुत अधिक विलम्ब नहीं किया जायेगा।
अपीलीय अधिकारी	31–	बायो डीजल के उत्पादक के विरूद्ध कृत कार्यवाही के बारे में अपीलीय प्राधिकारी अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ0प्र0 शासन होंगे। और बायो डीजल खुदरा विक्रेता के विरूद्ध कृत कार्यवाही के बारे में अपीलीय प्राधिकारी संबंधित मण्डलायुक्त होंगे।

(महेश कुमार गुप्ता)
अपर मुख्य सचिव
ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग
उ0प्र0 शासन

उत्तर प्रदेश में बायो–डीजल (बी–100) के उत्पादन हेतु आवेदन पत्र

1–	आवेदक का नाम		
2–	आवेदक किस प्रकृति का है (यथा प्रोप्राइटर फर्म, पार्टनरशिप फर्म, कम्पनी, ट्रस्ट/समिति आदि) और इसका पंजीयन नम्बर		
3–	आवेदक का पंजीकृत पता		
4–	यदि आवेदक इकाई जी0एस0टी0 में पंजीकृत है तो जी0एस0टी0 का पंजीयन नम्बर		
5–	आवेदक इकाई का पैन नम्बर		
6–	आवेदक इकाई की मेल आई0डी0		
7–	आवेदक इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि का नाम		
8–	आवेदक इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि का मोबाइल नम्बर		
9–	आवेदक इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि का मेल आई0डी0		
10–	आवेदक इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि का पहचान पत्र का विवरण		
11–	पता जहां पर उत्पादन इकाई लगायी जा रही है		
12–	चौहद्दी जहां पर उत्पादन इकाई लगायी जा रही है (ले–आउट संलग्न किया जाये)		
13–	उत्पादन इकाई की उत्पादन क्षमता		
14–	उत्पादन इकाई की भण्डारण क्षमता		
15–	आवेदक द्वारा जमा किया गया आवेदन शुल्क (जमा की गयी धनराशि, जमा करने का माध्यम तथा जमा करने की तिथि)		
16–	निम्न विभागों से सम्बन्धित पंजीयन/अनुमति/ अनापत्ति अभिलेख संलग्न करने की प्रास्थिति		
	क–	स्थानीय जिलाधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र, जैसे कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल उत्पादन कम्पनियों की उत्पादन इकाईयों के लिए किया जा रहा है।	
	ख–	पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पी0ई0एस0ओ0) लाइसेंस (यथा अपेक्षित)	
	ग–	राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग प्राधिकरण/इकाई	

	घ–	प्रदेश का मापतौल विभाग	
	च–	अग्निशमन विभाग	
	छ–	दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम	
	ज–	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पर्यावरणीय स्वीकृति	

नोट– आवेदन पत्र के बिन्दु संख्या–2, 4, 5, 10, 12, 15 तथा 16 में वर्णित सुसंगत अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जायें।

(महेश कुमार गुप्ता)
अपर मुख्य सचिव
ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग
उ०प्र० शासन

संलग्नक–2

उत्तर प्रदेश में बायो–डीजल (बी–100) की खुदरा बिक्री हेतु आवेदन पत्र

1–	आवेदक का नाम		
2–	आवेदक किस प्रकृति का है (यथा प्रोप्राइटर फर्म, पार्टनरशिप फर्म, कम्पनी, ट्रस्ट/समिति आदि) और इसका पंजीयन नम्बर		
3–	आवेदक का पंजीकृत पता		
4–	यदि आवेदक इकाई जी0एस0टी0 में पंजीकृत है तो जी0एस0टी0 का पंजीयन नम्बर		
5–	आवेदक इकाई का पैन नम्बर		
6–	आवेदक इकाई की मेल आई0डी0		
7–	आवेदक इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि का नाम		
8–	आवेदक इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि का मोबाइल नम्बर		
9–	आवेदक इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि का मेल आई0डी0		
10–	आवेदक इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि का पहचान पत्र का विवरण		
11–	पता जहां पर खुदरा बिक्री की जानी प्रस्तावित है		
12–	चौहद्दी जहां पर खुदरा बिक्री की जानी प्रस्तावित है (ले–आउट संलग्न किया जाये)		
13–	खुदरा बिक्री केन्द्र की भण्डारण क्षमता		
14–	आवेदक द्वारा जमा किया गया आवेदन शुल्क (जमा की गयी धनराशि, जमा करने का माध्यम तथा जमा करने की तिथि)		
15–	निम्न विभागों से सम्बन्धित पंजीयन/अनुमति/अनापत्ति अभिलेख संलग्न करने की प्रास्थिति		
	क–	स्थानीय जिलाधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र, जैसे कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल उत्पादन कम्पनियों के खुदरा बिक्री केन्द्रों के लिए किया जा रहा है।	
	ख–	पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पी0ई0एस0ओ0) लाइसेंस (यथा अपेक्षित)	
	ग–	राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग प्राधिकरण/इकाई	

	घ–	प्रदेश का मापतौल विभाग	
	च–	अग्निशमन विभाग	
	छ–	दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम	
	ज–	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पर्यावरणीय स्वीकृति	
	झ–	जिला प्रशासन से वाणिज्यिक भूमि उपयोग प्रमाणपत्र	
	ट–	इस आशय का शपथपत्र कि आवेदक इस अनुमति के अनुसरण में केवल स्वदेशी रूप से उत्पादित बायो–डीजल (बी–100) की बिकी करेगा और आयातित बायो डीजल की बिकी नहीं करेगा। वह इस आशय का भी शपथपत्र देगा कि वह केवल बायो डीजल की बिकी करेगा और उसे किसी प्रकार की अन्य किसी पदार्थ के साथ मिश्रण करके नहीं बेचेगा।	

नोट– आवेदन पत्र के बिन्दु संख्या–2, 4, 5, 10, 12, 14 तथा 15 में वर्णित सुसंगत अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जायें।

(महेश कुमार गुप्ता)
अपर मुख्य सचिव
ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग
उ०प्र० शासन

उत्तर प्रदेश में बायो–डीजल (बी–100) के उत्पादन अथवा खुदरा बिक्री हेतु नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र

1–	आवेदक का नाम		
2–	आवेदक को पूर्व निर्गत पंजीयन अथवा अनुमति (यथा स्थिति) कमांक (प्रति संलग्न की जाये)		
3–	क्या आवेदक द्वारा पूर्व में पंजीयन अथवा अनुमति (यथा स्थिति) के समय जो व्यक्तिगत अथवा अन्य विवरण दिये गये थे, उसमें कोई परिवर्तन हुआ है? यदि हॉ, तो ऐसे समस्त परिवर्तनों का (प्रत्येक का) पूरा विवरण दिया जाये।		
4–	क्या आवेदक की भण्डारण चौहद्दी में कोई परिवर्तन किया जा रहा है? यदि हॉ, तो इसका पूरा विवरण दिया जाये।		
5–	क्या आवेदक द्वारा भण्डारण क्षमता में कोई परिवर्तन किया जा रहा है? यदि हॉ, तो इसका पूरा विवरण दिया जाये।		
6–	यदि उपरोक्त बिन्दु संख्या–4 तथा 5 का उत्तर हॉ है तो निम्न अभिलेख/अनापत्ति/अनुमति नये सिरे से प्रस्तुत किये जायें		
	क–	स्थानीय जिलाधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र, जैसे कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल उत्पादन इकाईयों अथवा इन कम्पनियों के खुदरा बिक्री केन्द्रों के लिए किया जा रहा है।	
	ख–	पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पी0ई0एस0ओ0) लाइसेंस (यथा अपेक्षित)	
	ग–	राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग प्राधिकरण/इकाई	
	घ–	अग्निशमन विभाग	
	च–	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पर्यावरणीय स्वीकृति	
	छ–	खुदरा बिक्री केन्द्रों के सन्दर्भ में जिला प्रशासन से वाणिज्यिक भूमि उपयोग प्रमाणपत्र	
7–	आवेदक द्वारा जमा किया गया आवेदन शुल्क (जमा की गयी धनराशि, जमा करने का माध्यम तथा जमा करने की तिथि)		
8–	आवेदक द्वारा इस आशय का शपथपत्र कि विगत		

	अवधि में उसके विरूद्ध सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी प्रकार के नियमों के अथवा शर्तों के उल्लंघन के आलोक में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। यदि कोई कार्यवाही की गयी है तो उसका विवरण अंकित किया जाये।	

नोट– नवीनीकरण आवेदन पत्र के बिन्दु संख्या–2, 3, 4, 5, 6, 7 तथा 8 में वर्णित सुसंगत अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जायें।

(महेश कुमार गुप्ता)
अपर मुख्य सचिव
ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग
उ०प्र० शासन

संलग्नक–4

बायो डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्रों पर प्रदर्शित सूचनाएं

1. अनुमति प्रमाणपत्र प्रमुखता से प्रदर्शित किया जायेगा।
2. बायो डीजल के बिक्री मूल्य को स्पष्ट पठनीय अक्षरों में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जायेगा।
3. ग्राहक के आटोमोबाइल टैंक में डीजल के साथ मिश्रण किये जाने वाले बायों डीजल की प्रतिशतता को बोर्डों पर प्रमुखता से अंग्रेजी/हिन्दी में प्रदर्शित किया जायेगा।
4. यह चेतावनी भी प्रमुखता से प्रदर्शित की जायेगी कि विनिर्धारित प्रतिशतता से अधिक प्रतिशतता में बायो डीजल का इस्तेमाल इंजन को क्षति पहुँचा सकता है।
5. विक्रय किया जाने वाले बायो डीजल का प्रत्येक दिवस का ओपनिंग स्टाक तथा आवक आदि का विवरण बोर्ड पर प्रमुखता से प्रदर्शित करना होगा।
6. बायो डीजल की आपूर्ति कहां से की गयी है उसकी जानकारी भी बोर्ड पर प्रमुखता से प्रदर्शित करना होगा।

(महेश कुमार गुप्ता)
अपर मुख्य सचिव
ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग
उ०प्र० शासन

संलग्नक–5

<u>बायो डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्रों पर रखे जाने वाले अभिलेख एवं अन्य विवरण</u>

1. प्रत्येक खुदरा विक्रेता अपने बिक्री केन्द्र पर आपूर्तिकर्ता के ब्योरों के साथ बायो–डीजल (बी–100) के खपत और बकाया का रिकार्ड रखेंगे।
2. प्रत्येक खुदरा विक्रेता अपने बिक्री केन्द्र पर अपने आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त कम से कम पिछली तीन बायो–डीजल (बी–100) आपूर्तियों के नमूने सुरक्षित रखेंगे। यह नमूने जांच टीम अपने निरीक्षण के समय यथा आवश्यकता निरीक्षण और जांच के लिए ले सकेगी।
3. प्रत्येक खुदरा विक्रेता अपने बिक्री केन्द्र पर एक रजिस्टर में बायो–डीजल (बी–100) की प्रत्येक बिक्री का स्थायी रिकार्ड रखेंगे जिसे दैनिक आधार पर अद्यतन किया जायेगा और यह हर समय जांच के लिए उपलब्ध रहेगा।
4. प्रत्येक खुदरा विक्रेता अपने बिक्री केन्द्र पर प्रत्येक बिक्री के लिए बिल (डुप्लीकेट में) जारी किया जायेगा जिसमें बेची गयी मात्रा, प्रभारित दर, बिक्री की तारीख व समय, क्रय क्रेता का वाहन संख्या, क्रयकर्ता का नाम तथा उसका सम्पर्क दूरभाष अंकित करना अनिवार्य होगा। बिल की एक प्रति ग्राहक को दी जायेगी और दूसरी प्रति खुदरा बिक्री केन्द्र के अभिलेखों में सुरक्षित रखी जायेगी।
5. प्रत्येक बिक्री केन्द्र पर एक शिकायत पुस्तिका रखी जायेगी जो क्रेता द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध करायी जायेगी ताकि वह अपनी शिकायत दर्ज करा सके।
6. प्रत्येक बिक्री केन्द्र पर सेल्समैन गहरे हरे रंग की एक निर्धारित यूनीफार्म पहनेंगे।
7. प्रत्येक बिक्री केन्द्र पर ग्राहकों के लिए एक शौचालय की सुविधा उपलब्ध होगी।
8. प्रत्येक बिक्री केन्द्र पर प्राथमिक उपचार हेतु एक फर्स्ट एड बाक्स रखा जायेगा।

(महेश कुमार गुप्ता)
अपर मुख्य सचिव
ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग
उ०प्र० शासन